पत्रक

(नियम 13)

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

जीवण राम सैनी पुत्र प्रभू जाति माली निवासी भगवानपुरा, चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।	–बनाम–	प्रभू पुत्र भूरा सांवरमल जाति माली निवासी भगवानपुरा, चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
किस्म मुकदमा– दावाः इस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकॉर्ड, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा।		मु.नं. 5 / 2025 RCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
07.01.25	आज यह वाद वादी की ओर से वकील श्री मुकेश जांगिड द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादीगण जारी हो। प्रतिवादीगण यदि तहसील क्षैत्र नवलगढ के बाहर के हो तो तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 11/2/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू	
11/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी 34.1 प्रति: सं. 1 लगा 5 की ओर से वकील श्री रतनू सिंह भारत उप. होकर वकालतनामा पेश किया। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु आगामी दिनांक 18/3/25 को पेश हो।	
	ए.सी.ई.ए. (फा.ट्रे.)	
18/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अभिषेक उप। वकील अभिषेक उप। प्रतिवादी सं. 6 का तौहिन वाद शामिल जाप्ता पत्रावली वास्ते जवाब प्रति सं. 1 ल. 5 हेतु दिनांक 27/3/25 को पेश हो	
27/3/25	पत्रावली पर हुई पीठासीन अधिकारी महोदय [illegible] अवकाश [illegible] में व्यस्त होने से पत्रावली [illegible] दिनांक 5/5/25 [illegible]	ए.सी.ई.ए. (फा.ट्रे.) नवलगढ़
5/5/25	पत्रावली पेश हुई [illegible] वकील [illegible] की वाद 2 [illegible] [illegible] तक [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] रहकर [illegible] अपने हाजिरी व अपने पैरवी के रवानगी का [illegible] है। पत्रावली फैसला शुमार होकर पड़ी दफ्तर से लग हो तथा दाखिल दफ्तर हो।	
	ए.सी.ई.ए. (फा.ट्रे.) नवलगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:44:23 IST
Reason: SelfAttested